A-1/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 93/2020

1. महेश पुत्र श्री हवासिहं जाति जाट निवासी आर्दश कॉलोनी, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री हवासिहं पुत्र स्व. मातुराम जाति जाट निवासी झारोड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2. रितु पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी आर्दश कॉलोनी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट

—

अपील अ.धा. 16 माता – पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण एक्ट 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 01.04.2019 व 06.02.2020 द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा उनवानी हवा सिंह बनाम महेश कुमार वगैरह आवेदन पत्र अ.धा. भरण पोषण प्रकरण अधि. मुकदमा संख्या 111/2018

—

उपस्थित:–

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।

आदेश

दिनांक 21.01.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट चिड़ावा के निर्णय दिनांक 01.04.2019 व [illegible] के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से [illegible] – अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जायन्दा पुत्र व पुत्रवधु है। अपीलान्ट [illegible] चिड़ावा के वार्ड नम्बर 19 के आवासीय प्लॉट में सन् 1991 से मय परिवार आबाद चला आ [illegible] तथा उक्त प्लॉट के विद्युत बिल व नगर पालिका के कर की रसीद सन् 1991 से अपीलान्ट [illegible] से जारी हो रही है तथा अपीलान्ट का परिवार राशन कार्ड शुरू से उक्त पते का रहा है। [illegible] विवादित आवासीय प्लॉट अपीलान्ट के अकेले के कब्जे व स्वामित्व का रहा है। रेस्पोडेन्ट [illegible] अपीलान्ट के सगे भाई धर्मेन्द्र चौधरी के बहकावे व बेजा प्रभाव में आपसी पारिवारिक [illegible] के चलते अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खिलाफ गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम झारोड़ा, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू में अपीलान्ट के सगे भाई [illegible] के साथ पुश्तैनी मकानों में निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त मकानों में [illegible] अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी व [illegible] इकरारनामा तैयार कर [illegible] पत्र पेश किया है। फर्जी एवं साजिशी इकरारनामे के आधार पर स्वामित्व प्राप्त नहीं [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 10.09.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्ट [illegible] के खिलाफ कार्यालय पुलिस अधीक्षक वृत चिड़ावा जिला झुंझुनू में शिकायत पेश की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:15:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

A-4/2

उक्त शिकायत में कार्यवाही नहीं करने हेतु दबाव बनाने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अपीलान्ट के सगे भाई ने आपसी षडयंत्र रचकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या2 व अपीलान्ट के बच्चो को [illegible] प्रार्थना पत्र पेश करवाकर तंग व परेशान करने के लिऐ तथा उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में अन्य पारिवारिक विवादों में समझौता करने का दबाव बनाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट द्वारा पूर्व पत्नी की मृत्यु होने पर दूसरा विवाह करने से दूसरी पत्नी से [illegible] नाराजगी रखता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट के सगे भाई व सगी बहिनों व बहनोईयों के बहकावे में रहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम झारोड़ा में पुश्तैनी मकानों में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है व भारतीय सेना से सेवानिवृत होने पर अच्छी पेशंन भी प्राप्त कर रहा है। अपीलान्ट प्राईवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य करता है। अपीलान्ट की आय से बमुश्किल घर खर्चा चलता है। अपीलान्ट के पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है ना ही अपीलान्ट के पास अन्य कोई आवासीय मकान है। अपीलान्ट उक्त विवादित आवासीय मकान में शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाहता है। अदालत मातहत के आदेश जैर बहस की पालना होने पर अपीलान्ट परिवार सहित बेघर हो जावेगा, जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतल्फी होगी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भरण पोषण बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अदालत मातहत को स्वामित्व व कब्जे के विवादों को सुनने का [illegible] कानूनन नहीं है। अदालत मातहत ने उक्त अधिनियम 2007 की धारा 6 की अवेहलना की है। अदालत मातहत ने धारा 6(4) के तहत साक्ष्य अभिलिखित नहीं की है और बिना साक्ष्य अभिलिखित बिना निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत बिना जांच बिना निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने जांच के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से शपथ [illegible] साक्ष्य नहीं ली है तथा अपने आदेश दिनांक 01.04.2019 व 06.02.2020 की पालना में कब्जे की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की है और मनमर्जी से अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय [illegible] पारित कर विधि व तथ्य की भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 व 06.02.2020 को खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट कस्बा चिड़ावा के वार्ड नम्बर 19 के आवासीय प्लॉट में सन् 1991 [illegible] काबिज आबाद चला आ रहा है तथा उक्त प्लॉट के विद्युत बिल व नगर पालिका के कर की [illegible] से अपीलान्ट के नाम से जारी हो रही है तथा अपीलान्ट का परिवार राशन कार्ड [illegible] पते का रहा है। उक्त विवादित आवासीय प्लॉट अपीलान्ट के अकेले के कब्जे व स्वामित्व का रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट के सगे भाई धर्मेन्द्र चौधरी के बहकावे व बेजा [illegible] आपसी पारिवारिक नाराजगी के चलते अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खिलाफ गलत [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम झारोड़ा, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू में अपीलान्ट के सगे भाई धर्मेन्द्र चौधरी के साथ पुश्तैनी मकानों में निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त मकानों में कोई हक अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी व [illegible] इकरारनामा तैयार कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलान्ट प्राईवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य करता है। अपीलान्ट की आय से बमुश्किल घर खर्चा चलता है। अपीलान्ट के पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है ना ही अपीलान्ट के पास अन्य कोई आवासीय मकान है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 [illegible] को खारिज फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:15:59 IST
Reason: SelfAttested

A-4
3

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली से संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया अपीलान्ट ने अपील में कस्बा झुंझुनू के वार्ड नम्बर 19 स्थित आवासीय प्लॉट पर सन् 1991 से मय परिवार होना आबाद है। जिस हेतु अपीलान्ट ने पुराने बिजली बिल तथा नगर पालिका के कर की रसीद उसके नाम होना बताया है। परन्तु उक्त आवासीय प्लॉट पर अपीलान्ट के मालिकाना हक होने का कोई सबूत या दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। केवल बिजली बिलों तथा नगरपालिका की रसीद के आधार पर किसी भूखण्ड का स्वामित्व तय नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा बाद सुनवाई विधिसम्मत् आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना न्यायालय की दृष्टि में उचित नहीं है। अपीलान्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की ओर सादर वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
21/01/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:15:59 IST
Reason: SelfAttested